कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**M/S DIVERSEY INDIA (P) LTD. Khasra N0. 536, Village-Sikri Kalan, Pragna, Jalabad, Tehsil-Modi Nagar, Delhi Meerut Road, Ghaziabad.**
प्रार्थना-पत्र संख्या व दिनांक	**005 / 14, 13.01.2014**
प्रार्थी की ओर से	**श्री तनमय महाजन, अधिकृत प्रतिनिधि।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

M/S DIVERSEY INDIA (P) LTD. Khasra N0. 536, Village-Sikri Kalan, Pragna, Jalabad, Tehsil-Modi Nagar, Delhi Meerut Road, Ghaziabad द्वारा दिनांक 13.01.2014 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा अपने निम्नलिखित उत्पादों पर, वैट अधिनियम के अन्तर्गत कर की दर जाननी चाही गयी है :-

1. D.LUBE CONCEPT 2. DLUBE UNIVERSAL 3. DRYTECH 4
4. BRITEWASH LL 5. SU 846 6. SU 853 7. SU 727 8. SU 825
9. DIVO LE 10. DIVO BL 11. DIVO AI

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु श्री तनमय महाजन, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र में उक्त वस्तुओं को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-29 से आच्छादित होने का उल्लेख किया गया है। यह भी उल्लेख किया गया है कि उपर्युक्त सभी प्रोडक्ट दो या दो से अधिक कैमिकल तथा COCONUT FATTY ACID एवं GLYCERINE इत्यादि के मिश्रण से बनाये गये तरल पदार्थ हैं जिनका उपयोग फर्श एवं बाथरूम इत्यादि की साफ सफाई के लिए किया जाता है। सुनवाई के समय यह भी कहा गया कि वर्तमान में इनकी कम्पनी द्वारा उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भाँति इन उत्पादों पर 12.5% + 1.5% की दर से कर वसूला व जमा किया जा रहा है किन्तु इनकी अन्य प्रतिस्पर्धी कम्पनियों द्वारा, समान प्रकार के उत्पादों, जिनका प्रयोग फर्श एवं बाथरूम इत्यादि की साफ सफाई में किया जाता है, पर 4% + 1% की दर से कर वसूला जा रहा है। जिससे प्रार्थी प्रतिस्पर्धा में पिछड़ता जा रहा है। अन्त में प्रार्थी द्वारा अपने उत्पाद पर कर की दर स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया।

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, गाजियाबाद जोन-प्रथम, गाजियाबाद द्वारा पत्र संख्या-2834, दिनांक 15.02.2014 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि :-

व्यापारी द्वारा अपने उत्पाद को for cleaning माना गया है। जिसे बाजार में विभिन्न कामर्शियल नामों से बेचा जाता है। व्यापारी द्वारा उत्पादित वस्तु अनुसूची-II में वर्गीकृत नहीं है तथा व्यापारी द्वारा स्वयं इसे अवर्गीकृत वस्तु की भाँति मानते हुए करदेयता स्वीकार कर कर जमा किया जा रहा है। व्यापारी का उत्पाद कैमिकल की श्रेणी में नहीं आता है।

...2

कमिश्नर वाणिज्य कर धारा-59 अनुभाग उ. प्र. मुख्यालय

M/S DIVERSEY INDIA (P) LTD. / प्रा0 पत्र सं0-005 / 14 / धारा-59 / पृष्ठ-2

उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-29 कैमिकल including कैमिकल्स के नाम से दी गयी है तथा अन्तिम लाइन में कैमिकल कम्पोनेन्ट, मिक्सचर और अन्य कैमिकल को शेड्यूल-II में रखा गया है। इस प्रकार उक्त प्रविष्टि में कैमिकल्स, कैमिकल्स के मिक्सचर को रखा गया है न कि व्यापारी द्वारा उत्पादित माल को। व्यापारी द्वारा कैमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग की बात कही गयी है जो उचित नहीं है। इनके द्वारा cleaning products का उत्पादन किया जाता है। कैमिकल मिक्सचर से किसी नई वस्तु का निर्माण नहीं होता है जबकि इनके द्वारा निर्माण में कच्चे माल के रूप में कैमिकल का प्रयोग किया जाता है जिससे एक नई वस्तु का निर्माण होता है जिसका उपयोग cleaning purpose में किया जाता है।

व्यापारी द्वारा अपने उत्पादित वस्तुओं के नाम और कच्चे माल की सूची दी गयी है। व्यापारी द्वारा उत्पादित वस्तु का उपयोग cleaning purpose में किया जाता है। इनके कच्चे माल में Coconut Fatty Acid / Glycerine आदि जो कैमिकल की श्रेणी में हैं, आते हैं। इनके उत्पादन कैमिकल का मिश्रण नहीं हैं अपितु भिन्न कच्चे माल का प्रयोग कर एक नई वस्तु का निर्माण किया जाता है जिसका प्रयोग कच्चे माल से भिन्न cleaning purpose के लिए किया जाता है। अत: इनके उत्पाद कैमिकल की श्रेणी में नहीं आते हैं और इस पर अवर्गीकृत वस्तु की श्रेणी में होने के कारण अवर्गीकृत वस्तु की भाँति कर होना चाहिए।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, गाजियाबाद जोन-प्रथम, गाजियाबाद द्वारा प्रेषित आख्या का समर्थन करते हुए कहा गया है कि प्रार्थी द्वारा साफ सफाई के निमित्त जिस प्रोडक्ट का निर्माण किया जाता है उसमें विभिन्न प्रकार के कैमिकल का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। यह किसी प्रकार का कैमिकल अथवा कैमिकल का मिश्रण मात्र नहीं है अपितु प्रोसेस करके एक नई वस्तु का निर्माण किया गया है जिसका उपयोग cleaning purpose के लिए किया जाता है। अत: यह वस्तु उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए के क्रमांक-29 के अन्तर्गत आच्छादित नहीं है। अपितु इस पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होनी चाहिए।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर गाजियाबाद जोन-प्रथम, गाजियाबाद द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र में जिन 11 प्रोडक्ट का उल्लेख किया गया है उनके कच्चे माल की सूची के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त वस्तुओं के निर्माण में COCONUT FATTY ACID एवं GLYCERINE सहित अन्य कैमिकल का उपयोग किया जाता है। विचाराधीन प्रोडक्ट में कैमिकल का उपयोग एक घटक के रूप में किया जाता है यह वस्तुत: कैमिकल का सम्मिश्रण मात्र नहीं है। उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-29 निम्नवत है :-

Chemicals including caustic soda, caustic potash, soda ash, bleaching powder, sodium bicarbonate, sodium hydro sulphate, sulphate of alumina, sodium nitrate, sodium acetate, sodium sulphate; acid slurry, trisodium phosphate, sodium tripoly phosphate, sodium silicate, sodium meta silicate, carboxymethyle cellulose, sodium sulphide, acetic

....3

धारा-59
अनुभाग

acid, sodium bisulphite, oxalic acid, sodium thiosulphate, sodium sulphite, sodium alginate, benzene citric acid, diethylene glycol, sodium nitrate, hydrogen peroxide, acetaldehyde, pentaerythritol, sodium alpha olefin, sulphonate, sodium formate, chemical components and mixture and all other chemicals not specified elsewhere in this schedule or any other schedule.

उक्त प्रविष्टि से स्पष्ट है कि कैमिकल का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हुए प्रोसेस करके यदि किसी नवीन वस्तु का निर्माण किया जाता है तो वह वस्तु उक्त प्रविष्टि संख्या-29 से आच्छादित नहीं होगी। प्रार्थी के प्रोडक्ट में कैमिकल्स का सम्मिश्रण मात्र न हो करके घटक के रूप में उनका प्रयोग किया गया है। इन उत्पादों का उपयोग इमारतों के फर्श एवं बाथरूम इत्यादि की सफाई के लिए किया जाता है। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट है कि सामान्य व्यापार जगत में एवं बोलचाल की भाषा में प्रार्थी द्वारा निर्मित वस्तुओं को कैमिकल नहीं, बल्कि cleaning product माना जाता है। ऐसे उत्पादों का निर्माण जिस भी कम्पनी द्वारा विभिन्न ब्राण्ड नाम से किया जाता है वे उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I, II, III एवं IV में वर्गीकृत नहीं हैं। अतः इन पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होगी।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति प्रार्थी, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, गाजियाबाद जोन-प्रथम, गाजियाबाद, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 26 अगस्त, 2014

ह0 / 26.08.2014
(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कमिश्नर वाणिज्य कर, धारा-59 अनुभाग, उ. प्र. मुख्यालय

26/8/14
प्रमाणित प्रतिलिपि
धारा-59 अनु.
वाणिज्य कर मुख्यालय लखनऊ